आबकारी विभाग का नागरिक चार्टर

1–आबकारी विभाग का उद्देश्य एवं कार्यकलाप :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में वर्णित सिद्धान्त के अनुरूप प्रदेश के आबकारी प्रशासन की मौलिक नीति मद्य निषेध की नीति को प्रमुखता देते हुए यह सुनिश्चित करना है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मानक गुणवत्ता के सुरक्षित मादक पदार्थो की वैधानिक बिक्री हो और इससे प्रदेश के विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अधिकतम राजस्व भी अर्जित हो सके।

प्रदेश में राजस्व अर्जन में आबकारी विभाग का प्रमुख स्थान है और पूरे प्रदेश में वाणिज्यकर विभाग के बाद आबकारी विभाग द्वारा अर्जित राजस्व ही सर्वाधिक है। आय के सापेक्ष आबकारी विभाग पर होने वाला कुल व्यय विभाग द्वारा अर्जित राजस्व का 1 से 1.25 प्रतिशत मात्र है। इस प्रकार विभाग द्वारा अर्जित राजस्व का लगभग 99 प्रतिशत भाग राज्य में विकास की योजनाओं पर खर्च किया जाता है। आबकारी विभाग प्रदेश के कुल कर राजस्व में लगभग 17 प्रतिशत का योगदान करता है।

आबकारी विभाग के किया कलापों में राजस्व अर्जन के साथ–साथ औद्योगिक विकास का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश, शीरा एवं अल्कोहल बाहुल्य प्रदेश है, अतः विभाग का यह प्रयास है कि अल्कोहल एवं शीरा पर आधारित उद्योग राज्य में अधिक से अधिक स्थापित किए जायें, जिससे शीरा एवं अल्कोहल जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल का प्रदेश में ही उपयोग हो सके और उद्योगों की स्थापना से अधिकाधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु आबकारी विभाग उद्योगों को शीरा एवं अल्कोहल उपलब्ध कराने, युक्त संगत कराधान तथा सुलभ लाइसेंसिंग प्रणाली निरूपित करने व शीरा तथा अल्कोहल का अवैध मदिरा निर्माण हेतु दुरूपयोग रोकने हेतु उसके नियंत्रण एवं विनियमन का महत्वपूर्ण कार्य भी करता है।

2–विभागीय ढॉचा :

शासन स्तर पर आबकारी विभाग का नेतृत्व माननीय आबकारी मंत्री जी तथा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष आबकारी आयुक्त होते हैं जो पदेन शीरा नियंत्रक भी होते हैं। इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है, जहॉ आबकारी आयुक्त के अधीन दो अपर आबकारी आयुक्त क्रमशः अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन) व अपर आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग एवं औद्योगिक विकास) के अतिरिक्त आबकारी आयुक्त के सहायतार्थ सॅयुक्त आबकारी आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त एवं सहायक आबकारी आयुक्त स्तर के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं। जनपदों में जनपद स्तर पर जिला आबकारी अधिकारी के अधीनस्थ आबकारी निरीक्षकों, आबकारी सिपाहियों, प्रधान आबकारी सिपाहियों एवं लिपिकों के माध्यम से कार्य होता है। मण्डल स्तर पर उप आबकारी आयुक्त कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश को पांच जोन में विभाजित किया गया है, जिनका मुख्यालय क्रमशः वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा एवं मेरठ है। यहॉ पर सॅयुक्त आबकारी आयुक्त स्तर के अधिकारी कार्यरत हैं, जो अपने जोन में आबकारी विभाग की नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।

3–आबकारी नीति व विभागीय नियमों/कानूनों का सरलीकरण :

उत्तर प्रदेश में मदिरा व्यवसाय पर बड़े ठेकेदारों का एकाधिपत्य समाप्त करने, नये उद्यमियों एवं व्यवसायियों को मदिरा व्यवसाय में प्रवेश के अवसर उपलब्ध कराने, उपभोक्ताओं को मानक गुणवत्ता की मदिरा उचित दाम पर उपलब्ध कराने एवं प्रदेश के राजस्व में आशानुकूल वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2001–2002 में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार द्वारा नई आबकारी नीति लागू की गई थी। इस नीति की निम्न विशेषताएँ हैः–

(1) दुकानों का व्यवस्थापन नीलाम पद्धति के स्थान पर निर्धारित लाइसेंस फीस के आधार पर सार्वजनिक लाटरी/नवीनीकरण के माध्यम से किया जाता है। निर्धारित लाइसेंस फीस को वर्ष के प्रारम्भ में आवंटन के समय ही जमा कराने की व्यवस्था की गयी है।

(2) आबकारी राजस्व को मुख्यतः मदिरा के वास्तविक उपभोग व अभिकर/प्रतिफल फीस आधारित बनाकर उसकी वसूली मदिरा की निकासी के समय आसवनी स्तर पर ही किये जाने का प्राविधान किया गया है। राजस्व वसूली व्यवस्था को सरल एवं आसान बनाने के उद्देश्य से विदेशी मदिरा पर लगने वाले व्यापार कर को भी आबकारी अभिकर में ही समाहित कर लिया गया है।

(3) मदिरा की सभी बोतलों पर आबकारी विभाग के सुरक्षा होलोग्राम लगाने की व्यवस्था की गयी है, ताकि उपभोक्ताओं व निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा अवैध एवं नकली मदिरा की आसानी से पहचान की जा सके व सुरा त्रासदियों से बचाव हो सके तथा साथ ही अभिकर/ प्रतिफल फीस से प्राप्त होने वाला राजस्व भी पूर्णतः सुरक्षित रहे।

(4) मदिरा की सभी बोतलों पर अधिकतम विक्रय मूल्य अंकित किये जाने का प्राविधान किया गया है, ताकि उपभोक्ताओं का शोषण न हो और उन्हें उचित दाम पर मानक गुणवत्ता की मदिरा प्राप्त हो सके।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभाग के नियमों/कानूनों को सरलीकृत करने एवं उन्हें जन आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा नियमों/प्रक्रियाओं का सरलीकृत करते हुए निम्न निर्णय लिये गये हैं–

1. शीरे का मूल्य नियंत्रण समाप्त किया जाना।
2. शीरे के कुल उत्पादन के 10 प्रतिशत तक या जैसी उपलब्धता हो, अन्य प्रदेशों को शीरा निर्यात हेतु अनुमति प्रदान किया जाना व इस हेतु पासबुकें जारी कर प्रक्रिया को सरल किया जाना।
3. शीरे पर आधारित इकाइयों को पंजीकृत किये जाने व क्षमता निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही को समाप्त किया जाना।
4. अल्कोहल पर आधारित उद्योगों को आसवनीवार अल्कोहल का आवंटन न कर उन्हें केवल क्षमता निर्धारण कर पासबुक उपलब्ध कराया जाना।
5. आसवनियों में छुटपुट मरम्मत/परिवर्तन की अनुमति का अधिकार क्षेत्रीय स्तर पर उप आबकारी आयुक्त, प्रभार को दिया जाना।
6. अग्रिम बाटलिंग फीस का स्थानीय स्तर पर समायोजन व प्रक्रिया का सरलीकरण।
7. आसवनी के भीतर स्प्रिट के मेचुरेशन के प्राविधानों को संशोधित किया जाना।
8. अल्कोहल पर आधारित एफ.एल. 39, 40, 41 उद्योगों के लिए प्रतिवर्ष अनुज्ञापन नवीनीकरण के स्थान पर 5 वर्ष के लिए अनुज्ञापन नवीनीकृत किया जाना व नये अनुज्ञापन की स्वीकृति भी 5 वर्ष के लिये किया जाना।

4–आबकारी विभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ :

विभाग द्वारा वर्ष 2001–2002 में 1963.89 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया था तथा वर्ष 2016–2017 में यह 14273.33 करोड़ हो गया है। नयी आबकारी नीति के क्रियान्वयन के फलस्वरूप, जहाँ इस व्यवसाय पर चन्द बड़े ठेकेदारों का वर्चस्व समाप्त हुआ, वहीं दूसरी ओर लगभग 10,000 से अधिक उद्यमियों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुये हैं। अवैध मादक पदार्थो की बिक्री को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा जिला एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से निरन्तर प्रवर्तन कार्य किया जाता है व समय–समय पर विशेष अभियान भी आयोजित किये जाते हैं। नयी नीति के क्रियान्वयन व स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता की मदिरा उचित मूल्य पर सुलभ हो रही है। प्रदेश शासन की उद्योगोन्मुख नयी नीति से आकर्षित होकर प्रदेश के उद्योगों में नया पूँजी निवेश हुआ है और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिला है। पूँजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आसवनी स्थापना हेतु नयी नीति प्रतिपादित की गयी है।

5–जन सामान्य व उपभोक्ताओं से अपेक्षाएँ :

मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है परन्तु फिर भी जो उपभोक्ता मदिरा का सेवन करते हैं, विभाग उपभोक्ताओं से निम्न बातें सर्वदा याद रखने की अपेक्षा रखता है :–

1. सरकारी लाइसेंसी दुकानों के अतिरिक्त अवैध स्रोत से क्रय की गई नकली शराब का सेवन स्वास्थ्य एवं जीवन दोनों के लिए घातक हो सकता है। अतः शराब का क्रय (खरीद) सरकारी लाइसेंसी दुकान से ही करें– अवैध अड्डों से बेचे जाने वाली अवैध शराब जहरीली हो सकती है।
2. शराब क्रय करने से पूर्व यह अवश्य जॉच लें कि उसकी बोतल पर उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग का सुरक्षा होलोग्राम लगा हो, जो सही हालत में हो।
3. सुरक्षा होलोग्राम अथवा शराब की बोतल नकली होने का संदेह होने पर तत्काल जनपद के जिला आबकारी अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा जिलाधिकारी को सूचित करें।
4. अवैध शराब की बिक्री की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल अपने जनपद के जिला आबकारी अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा जिलाधिकारी को सूचित करें अथवा आबकारी आयुक्त, इलाहाबाद कार्यालय में गठित नियंत्रण कक्ष को निम्न फोन नम्बरों पर सूचित करें–
   फोन (0532) 2642999, 2644936, 2642598, 2440748, 2640454, 2250490
   फैक्स (0532) 2641837, 2250490, 2644166

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के सुरक्षा होलोग्राम की मुख्य पहचान :

1. लम्बाई X चौड़ाई – 60 X 15 सें0 मी0
2. होलोग्राम चारों तरफ हल्के कटे हैं। (Zig-Zag)
3. होलोग्राम की ऊपरी सतह पर 5 रंग हैं। इसे उचाड़ने पर 3 रंग दिखायी देंगें। निचली सतह पर दिखायी देने वाले रंग ऊपरी सतह से भिन्न हैं।
4. ऊपरी सतह (Foreground & Background) :– ऊपरी सतह पर उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो तथा मदिरा का नाम जो कि होलोग्राम को हिलाने पर बारी–बारी रंग बदलता है। निचली सतह पर इंगलिश में CL, FL, WINE, BEER or LAB) लिखा दिखायी देता है।

5. चल चित्र (Animated, 3D World map with India Globe) :– होलोग्राम को बायें से दायें या ऊपर से नीचे हिलाकर देखने पर चिडिया के उडने का चलचित्र जो कि अलग–अलग आकृति में दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लेबल बारी–बारी से रंग बदलता है व तीन आयामी संसार का मानचित्रा गोला नजर आयेगा।

6. सूक्ष्म रेखाएं (Guilloche Pattern) – होलोग्राम को बायें से दायें या ऊपर से नीचे हिलाकर देखने पर उत्तर प्रदेश सरकार के लेबल में होलोग्राम के नीचे सूक्ष्म रेखाएं बारी–बारी से रंग बदलती नजर आयेंगी।

7. रसायन लेजर प्रक्रिया (Chemical Engraving) :– लेबल के ऊपर डाली गई अलग–अलग मदिरा के प्रकार के हिसाब से कोड डाले गये हैं एवं निर्माण का वर्ष भी अंकित है।

8. चार चेनल प्रक्रिया (4 Channel Effect) :– होलोग्राम को बायें से दायें हिलाकर देखने पर हिन्दी में उ0 प्र0, मदिरा का प्रकार, UP व मछली की आकृति का चित्र / लिखा नजर आयेगा ।

9. कोड नम्बरः– प्रत्येक होलोग्राम पर अंक/अक्षर का कोड नम्बर **लाल अक्षरों** से दो पंक्तियों में लिखा गया है। पहली पंक्ति में धारिता व कोड (09 डिजिट) तथा दूसरी पंक्ति में होलोग्राम का नम्बर (09 डिजिट) दर्शाते हैं।

XYZ ABC	धारिता व कोड
111111111	होलोग्राम का नम्बर

10. यू0 वी0 कोड (Ultra Violet Serial No.) प्रत्येक होलोग्राम पर वर्ष व क्रम नं0 अंकित है , जिसपर यू0 वी0 लाइट डालने पर प्रत्येक होलोग्राम का नम्बर देखा जा सकता है। इस के अतिरिक्त अन्य विशेषतायें/चिन्ह भी अंकित है।

11. **होलोग्राम का रंग :**

देशी शराब	–	25 % लाल एवं सिल्वर
		25 % हरा एवं सिल्वर
		36 % नीला एवं सिल्वर
		42.8 % फिरोजी एवं सिल्वर
विदेशी मदिरा	–	भूरा एवं सिल्वर
बीयर	–	गोल्ड एवं सिल्वर
लो अल्कोहलिक ब्रिवरेज	–	कापर एवं सिल्वर

5–जन शिकायतों का निस्तारण :

अनुज्ञापियों द्वारा विभाग के अधिकारियों /कर्मचारियों के विरुद्ध अथवा थोक विक्रेताओं या आसवनियों के विरुद्ध तथा उपभोक्ताओं की अनुज्ञापियों के विरुद्ध शिकायत जनपद स्तर पर जिला आबकारी अधिकारी अथवा जिलाधिकारी से, मण्डल स्तर पर उप आबकारी आयुक्त से अथवा जोन स्तर पर सॅयुक्त आबकारी आयुक्त से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, अपर आबकारी आयुक्त, अपर मुख्य सचिव/

प्रमुख सचिव एवं माननीय आबकारी मंत्री जी से भी तालिका में दिये गये टेलीफोन नम्बरों पर शिकायत की जा सकती है, जिसका निराकरण विभाग द्वारा यथा सम्भव शीघ्रातिशीघ्र किया जाता है।

क0सं0	**पदनाम**	**कार्यालय**
1.	मा0 आबकारी मंत्री जी	0522–2235675
2.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, आबकारी	0522–2238685
3.	आबकारी आयुक्त	0532–2642999

इसके अतिरिक्त निम्नांकित नम्बर पर व्हाट्स अप एवं ई–मेल पर मेल भी कर सकते हैं :–

व्हाट्स अप नम्बर – 9554482300
ई–मेल आई0 डी0 – upexcise17@gmail.com